क्रम संख्या

१

# आदेश-फलक

# न्यायालय, उप समाहर्ता भूमि सुधार, बेति

वाद सं०- 119/2012-13 श्रीनाथ यादव वगै० बनाम संतोष यादव वगै०

केस का प्रकार - BLDR ACT

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | |
|---|---|---|
| 19/01/13 | आदेश<br>प्रस्तुत वाद आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन के आधार पर सृजित है। आवेदक ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि बेतिया अंचल अंतर्गत मौजा धवनी का खाता-19, खेसरा-102 एवं 103 का कुल रकबा 4 धुर 6 धुरकी भूमि गंगा यादव (विपक्षी क्र०-4) से वर्ष 2007 में रजिस्ट्री केवाला से खरीद की। लेकिन विपक्षी गलत खरीद-बिक्री एवं अवैध तथा फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रश्नगत खेसरा 103 का 2 धुर 6 धुरकी भूमि पर विपक्षीगण कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं।<br>आवेदक के आवेदन के आलोक में विपक्षीगण को नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना पक्ष रखा।<br>विपक्षीगण ने अपने लिखित जवाब समर्पित कागजातों एवं प्रस्तुत तर्क के माध्यम से उल्लेख किया है कि प्रश्नगत विवादित भूमि विपक्षी को 04.09.2012 को निबंधित बयनामा दस्तावेज से गंगा यादव (विपक्षी क्र०-4) | |

फाइल

# आदेश-फलक

## न्यायालय, उप समाहर्ता भूमि सुधार, बेतिया

वाद सं०-

केस का प्रकार-

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | |
|---|---|---|
| | से क्रय किया गया है दस्तावेज मे<br>लिपकीय त्रुटि होने के बाद इसमें मरम्मतनामा<br>निबंधित दस्तावेज 29.11.2012 को तैयार कराया<br>गया।<br>(ii) आवेदक के द्वारा फर्जी खेसरा, बयनामा के<br>आधार पर प्रश्नगत भूमि पर दावा कर रहे<br>है क्योंकि जंगा यादव ने कभी भी आवेदक<br>को खेसरा बयनामा नहीं किया है।<br>विपक्षी ने अपने दावों के समर्थन में<br>निबंधित बयनामा दस्तावेज एवं निबंधित<br>मरम्मत दस्तावेज की छाया प्रति समर्पित<br>करते हुए आवेदक के आवेदन को निरस्त<br>करने का अनुरोध किया है।<br>उभय पक्षों के तर्कों को सुनने, उनके<br>द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब एवं समर्पित कागजातों<br>के परिशीलन से यह तथ्य उभर कर सामने<br>आता है कि (i) प्रश्नगत विवादित भूमि पर आवेदक<br>का दावा खेसरा बयनामा दस्तावेज वर्ष 2007<br>के आधार पर है जबकि विपक्षी का दावा<br>निबंधित बयनामा दस्तावेज वर्ष 2012 के आधार<br>पर है।<br>(ii) उभय पक्षों के द्वारा प्रश्नगत भूमि विवादित खेसरा<br>-④ जंगा यादव से खरीदने का उल्लेख किया है<br>(iii) उभय पक्ष एक दूसरे के दस्तावेज को फर्जी, | |

# आदेश-फलक

## न्यायालय, उप समाहर्ता भूमि सुधार, बेतिया

वाद सं०-

केस का प्रकार-

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | |
|---|---|---|
| | आधारविहीन एवं शून्य होने का दावा कर रहे हैं।<br>उपर्युक्त वर्णित परिस्थिति में स्पष्ट है कि विवाद का मुख्य विषय बयनामा दस्तावेज है। आवेदक का बयनामा निबंधित नहीं होने के कारण उसका कोई विधिक महत्व नहीं रह जाता है। जहाँ तक विपक्षी के निबंधित बयनामा दस्तावेज के फर्जी, गलत, शून्य होने का प्रश्न है तो उस बिन्दु पर धारित निबंधित दस्तावेज की वैधता पर विचार करने हेतु यह न्यायालय सक्षम नहीं है। दस्तावेज की वैधता की जाँच हेतु आवेदक सक्षम न्यायालय की शरण ले सकते हैं।<br>वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।<br>ह0/-<br>19/01/13<br>भूमि सुधार उप समाहर्ता<br>बेतिया<br>(मुहर: न्यायालय, भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बेतिया) | |